

Sur  
14.07.22  
CE(P)/AAO  
14.7.2022  
प्रमुख अभियन्ता  
लो. नि. वि.

MB  
15/7/22  
उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-2  
संख्या-III (2)/21-48(एम.एल.ए.)/2017 TC II  
देहरादून : दिनांक 4 जुलाई, 2022

1240  
SSO-III (P)  
मुख्य अभियन्ता (निर्माण)  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप/संशोधित

वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या- 6177/III(2)/22-48(एम.एल.ए.)/2017 TC दिनांक 22.12.2021 द्वारा "मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं0- 847/2017 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकासखण्ड चौखुटिया में गनाई- जौरासी मोटर मार्ग से आगर मनराल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (अवशेष लम्बाई 2.325 किमी0 में द्वितीय चरण के स्टेज-। का कार्य) (पुनरीक्षित आगणन) हेतु अवशेष लम्बाई 2.325 किमी. एवं लागत रू. 284.97 (पूर्व स्वीकृत लागत रू0 125.10 लाख + अतिरिक्त लागत रू0 159.87 लाख ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु रू. 0.10 (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त शासनादेश पर अंकित कार्य "मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं0- 847/2017 के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के विकासखण्ड चौखुटिया में गनाई- जौरासी मोटर मार्ग से आगर मनराल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (अवशेष लम्बाई 2.325 किमी0 में द्वितीय चरण के स्टेज-। का कार्य) (पुनरीक्षित आगणन) लागत रू. 159.87 लाख ( पूर्व स्वीकृत लागत रू0 125.10 + अतिरिक्त लागत रू0 34.77) लाख के स्थान पर टंकण त्रुटिवश रू. 284.97 ( पूर्व स्वीकृत लागत रू0 125.10 लाख + अतिरिक्त लागत रू0 159.87 लाख ) लाख अंकित हो गया है।

3. अतः उक्त के कम में शासनादेश संख्या- 6177/III(2)/22-48(एम.एल.ए.)/2017 TC दिनांक 22.12.2021 में स्वीकृत लागत रू. 284.97 ( पूर्व स्वीकृत लागत रू0 125.10 लाख + अतिरिक्त लागत रू0 159.87 लाख ) के स्थान पर लागत रू. 159.87 लाख ( पूर्व स्वीकृत लागत रू0 125.10 + अतिरिक्त लागत रू0 34.77 ) लाख पढ़ा जाय।

4. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की अन्य शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

SSO I (P)


रमेश कुमार सुधांशु  
15/7/22

(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2433/III (2)/21-48(एम.एल.ए.)/2017 TC II, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
11. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(श्याम सिंह)  
सयुक्त सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)




पत्रांक- 459 /20-याता0'क'/2022

दिनांक- 23 .07.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लो.नि.वि., देहरादून  
20/07/2022